न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 75/2024(GCMS 2024/289)
(RTI No.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री मनफूल सिंह जाखड़, इंदिरा चौक, नई लाईन गंगाशहर, बीकानेर, (मोबाईल नम्बर 96948–51016)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर

15.09.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 31.10.2024 से सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उन्हें समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकार से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी मनफूल सिंह जाखड़ ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 31.10.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

> दिनांक 1 जनवरी 2020 से लेकर आज दिनांक 29.10.2024 के समय में आपके कार्यालय द्वारा औद्योगिक (ईटभट्टा) प्रयोजनार्थ के सम्बन्ध में जमीनों का संपरिवर्तन आदेश जो जो जारी हुए सिर्फ संपरिवर्तन आदेशों की फोटो स्टेट प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावें।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अपने पत्रांक विविध/आरटीआई/2025/405 दिनांक 22.08.2025 से अवगत करवाया है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को अपने पत्रांक आरटीआई/2024/112 से दिनांक 29.11.2024 से निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना इस पत्र के संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अपने पत्रांक विविध/आरटीआई/2025/405 दिनांक 22.08.2025 से अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है, जो सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:35:44 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 15.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर